न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 30/2023

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1. मनमोहन सिंह पन्नू पुत्र हरजिन्द्र सिंह पन्नू जाति जटसिख निवासी 15 ओ तहसील श्रीकरणपुर। 2. हरदलजीत सिंह पन्नू पुत्र हरजिन्द्र सिंह पन्नू जाति जटसिख निवासी 15 ओ तहसील श्रीकरणपुर।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजूः– 21.02.2023

उपस्थितः 1.श्री पलविन्द्र सिंह, इन्द्राज सेजू अधिवक्ता वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

––निर्णय–– दिनांक :22.08.2023

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम चक 15 ओ, पटवार हल्का 15 ओ, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 42 में 10.500 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि वादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। राजस्व ग्राम चक 15 ओ, पटवार हल्का 15 ओ, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 65 में 11.133 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि वादी संख्या 2 के नाम दर्ज है। उक्त वर्णित भूमि वादीगण की खरीदशुदा भूमि है। जिसमें वादीगण के नाम मनमोहन सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह व हरदलजीत सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह अंकित है। लेकिन वादीगण के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात में नाम मनमोहन सिंह पन्नू पुत्र हरजिन्द्र सिंह पन्नू व हरदलजीत सिंह पन्नू पुत्र हरजिन्द्र सिंह पन्नू दर्ज है। इसलिए वादीगण उक्त वर्णित खाता में नाम संशोधन करवाना चाहता है। वादीगण के नाम में भिन्नता होने के कारण कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादी मुताबिक दस्तावेजो के आधार पर नाम संशोधित करवाने हेतु घोषणात्मक अनुतोष का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। वर्तमान में अनुदान/ऋण संबंधित आवेदन पत्र ऑनलाईन हो चुके [illegible] के अनुरूप मिलान किया जाता है, उसके पश्चात् ही अनुदान/ऋण स्वी[illegible] करना अनिवार्य कर दिया है। इस कारण विभिन्न समस्याओं [illegible] झूजना पड़ रहा [illegible] इसलिए भी उक्त संशोधन करवाने हेतु वादीगण माननीय [illegible] प्रस्तुत कर उक्त आशय के संशोधन हेतु घोषणा करवा रहा है। यही वाद [illegible] है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:53:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

ग्राम चक 15 ओ, पटवार हल्का 15 ओ, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 42 में अंकित नाम मनमोहन सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह के स्थान पर मनमोहन सिंह पन्नू पुत्र हरजिन्द्र सिंह पन्नू व खाता संख्या 65 में हरदलजीत सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह के स्थान पर हरदलजीत सिंह पन्नू पुत्र हरजिन्द्र सिंह पन्नू दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पत्रांक 4452 दिनांक 16.08.2023 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक चक 15 ओ की जमाबन्दी के खाता संख्या 65 में हरदलजीत सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह जाति जटसिख नाम व खाता संख्या 42 मे मनमोहन सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह जाति जटसिख दर्ज है। मुताबिक पहचान दस्तावेज व पटवारी द्वारा लोगों से पूछताछ करने पर पाया गया कि मनमोहन सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह के स्थान पर मनमोहन सिंह पन्नू पुत्र हरजिन्द्र सिंह पन्नू व हरदलजीत सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह के स्थान पर हरदलजीत सिंह पन्नू पुत्र हरजिन्द्र सिंह पन्नू दोनों नामों से जाना व पहचाना जाता है।

बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादीगण, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादीगण अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम चक 15 ओ, पटवार हल्का 15 ओ, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 42 की प्रति, राजस्व ग्राम चक 15 ओ, पटवार हल्का 15 ओ, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 65 की प्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, पैन कार्ड की छायाप्रति, ड्राईविंग लाईसेंस की छायाप्रति, राशन कार्ड की छायाप्रति, जन आधार कार्ड की छायाप्रति, के अवलोकन से स्पष्ट है। वादीगण द्वारा राजस्व ग्राम चक 15 ओ, पटवार हल्का 15 ओ, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 42 में अंकित नाम मनमोहन सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह के स्थान पर मनमोहन सिंह पन्नू पुत्र हरजिन्द्र सिंह पन्नू व खाता संख्या 65 में अंकित नाम हरदलजीत सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह के स्थान पर हरदलजीत सिंह पन्नू पुत्र हरजिन्द्र सिंह पन्नू दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया है। वादीगण के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजों में नाम मनमोहन सिंह पन्नू पुत्र हरजिन्द्र सिंह पन्नू व हरदलजीत सिंह पन्नू पुत्र हरजिन्द्र सिंह पन्नू दर्ज है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार चक 15 ओ की जमाबन्दी के खाता संख्या 65 में हरदलजीत सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह जाति जटसिख नाम व खाता संख्या 42 मे मनमोहन सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह जाति जटसिख दर्ज है। मुताबिक पहचान दस्तावेज व पटवारी द्वारा लोगों से पूछताछ करने पर पाया गया कि मनमोहन सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह के स्थान पर मनमोहन सिंह पन्नू पुत्र हरजिन्द्र सिंह पन्नू व हरदलजीत सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह के स्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Subh
Chandra
Date: 2023.09.06 12:53
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

पर हरदलजीत सिंह पन्नू पुत्र हरजिन्द्र सिंह पन्नू दोनों नामों से जाना व पहचाना जाता है। अतः वाद पत्र वादीगण रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादीगण के द्वारा प्रस्तुत पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, शपथ पत्र, के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

—:आदेशः—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136—राजस्व भू अधिनियम 1956 भली—भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम चक 15 ओ, पटवार हल्का 15 ओ, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073—76 के खाता संख्या 42 में अंकित नाम मनमोहन सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह के स्थान पर मनमोहन सिंह पन्नू पुत्र राजेन्द्र सिंह उर्फ हरजिन्द्र सिंह पन्नू व खाता संख्या 65 में अंकित नाम हरदलजीत सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह के स्थान पर हरदलजीत सिंह पन्नू पुत्र राजेन्द्र सिंह उर्फ हरजिन्द्र सिंह पन्नू दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खातों के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

निर्णय आज दिनांक 22.08 .2023 को मेरे द्वारा लिखवाया सुरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)
सत्यमेव जयते

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:53:28 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

मनमोहन सिंह पन्नू बनाम राजस्थान सरकार
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट
मुकदमा नम्बर **30/2023**
निर्णय दिनांक :- .22.08.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह, इन्द्राज सेजू उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम चक 15 ओ, पटवार हल्का 15 ओ, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073-76 के खाता संख्या 42 में अंकित नाम मनमोहन सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह के स्थान पर मनमोहन सिंह पन्नू पुत्र राजेन्द्र सिंह उर्फ हरजिन्द्र सिंह पन्नू व खाता संख्या 65 में अंकित नाम हरदलजीत सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह के स्थान पर हरदलजीत सिंह पन्नू पुत्र राजेन्द्र सिंह उर्फ हरजिन्द्र सिंह पन्नू दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खातों के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 22.08.2023 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	04	**00**	**योग**	**00**	**00**

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर
दिनांक: 22.08.2023

क्रमांक: रीडर/ 2023/447

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:53:28 IST
Reason: SelfAttested